

निदेशक पंचायतीराज, उ०प्र० लखनऊ
पत्रांक-6/2110 / 2018-6/238/
2021-22 लखनऊ दिनांक- 6 अप्रैल, 2022

—:कार्यालय ज्ञाप:—


अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-512/33-3-2022-27/2022, दिनांक-30.03.2022 में त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि के पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पंचायत कल्याण कोष स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में निदेशालय के कक्ष संख्या-28 में उ०प्र० पंचायत कल्याण कोष का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाता है, प्रकोष्ठ के संचालन व कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी/कार्मिकों के पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|---|---------------|
| 1. नोडल अधिकारी | - विभागीय |
| 2. एक कन्सल्टेन्ट आई०टी० | - आउटसोर्सिंग |
| 3. एक कन्सल्टेन्ट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | - आउटसोर्सिंग |
| 4. एक पटल सहायक | - विभागीय |
| 5. एक कम्प्यूटर ऑपरेटर | - आउटसोर्सिंग |

अतः उक्तानुसार व्यवस्था तत्काल रूप से प्रभावी होगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।

पत्रांक-6/2110 / 2018-6/ / 2021-22 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त अधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०) उ०प्र०।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।